झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः— शहरी स्थानीय निकाय एवं नगर विकास एवं आवास विभाग (मुख्यालय) के अन्तर्गत 03 वर्षों की अवधि हेतु संविदा के आधार पर सेवायें प्राप्त करने के लिए नगर प्रबंधक के 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति।

7734
15/12/17

नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या–693 दिनांक–22.02.2010 एवं संकल्प ज्ञापांक–3158 दिनांक–27.08.2015 के द्वारा संविदा के आधार पर कुल सौ (100) नगर प्रबंधक के पदों का सृजन किया गया है।

2. राज्य में विगत कुछ वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों के गठन के फलस्वरूप निकाय के कार्यों में अतिशय वृद्धि हुई है, परन्तु पदाधिकारियों की कमी रहने के कारण विकास योजनायें प्रभावित हो रही हैं। शहरी स्थानीय निकायों के विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत पूर्व में सृजित नगर प्रबंधक के पदों की संख्या के अलावे नगर प्रबंधक के अतिरिक्त पदों के सृजन की नितान्त आवश्यकता है।

3. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने नगर प्रबंधक के अतिरिक्त 20 पदों के सृजन का निर्णय लिया है, जिसकी विवरणी संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित है।

4. नगर प्रबंधक के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार होगी :—

MBA or PG Degree/Diploma in Management or PG Degree/Diploma in Public Administration or PG Degree in Town Manager/Planning and Development from recognized Institution/University.

5. इन पदों पर संविदा आधारित सेवायें प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों का चयन विज्ञापन के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करते हुए किया जाएगा।

6. नगर प्रबंधक (City Manager) नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति में नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

7. नगर प्रबंधक (City Manager) के पद पर तीन (03) वर्षों के लिए संविदा आधारित सेवायें प्राप्त की जाएगी तथा उनका कार्य संतोषप्रद रहने पर सेवा विस्तार किया जा सकेगा।

8. संविदा पर सेवायें प्राप्त करने के क्रम में आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

9. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पद पर नियुक्ति के संबंध में अनुमान्य वेतन के आधार पर नगर प्रबंधकों (City Manager) को मासिक संविदा राशि देय होगी।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–05.12.2017 में मद संख्या–6 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

14.12.17

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

D-Rahul_rk_sankalp 112

ज्ञापांक– 01/सा0स्था (पद सृजन)–51/2016/न0वि0आ07734 **राँची,दि0–**15/12/17

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 01/सा0स्था (पद सृजन)–51/2016/न0वि0आ07734 **राँची,दि0–**15/12/17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जुटकॉल लिमिटेड/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.17

सरकार के प्रधान सचिव।

D-Rahul_rk_sankalp 113

परिशिष्ट–1

शहरी स्थानीय निकायों में नगर प्रबंधक के अतिरिक्त सृजित पदों की विवरणी –

क्र0 सं0	विभाग / निकाय का नाम	पूर्व से सृजित पद की संख्या	नये सृजित पद की संख्या	कुल सृजित पदों की संख्या
1.	नगर विकास एंव आवास विभाग (मुख्यालय)	–	02	02
2.	धनबाद नगर निगम	05	03	08
3.	हजारीबाग नगर निगम	02	03	05
4.	बरहरवा नगर पंचायत	–	02	02
5.	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	02	03	05
6.	मानगो नगर निगम	02	03	05
7.	कपाली नगर परिषद	–	02	02
8.	छतरपुर नगर पंचायत	–	02	02
	कुल		20	

7734
15/12/17

15.12.17

D-Rahul_rk_sankalp 114